



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042026-271603
CG-DL-E-07042026-271603

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 238]
No. 238]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2026/चैत्र 16, 1948
NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2026/CHAITRA 16, 1948

दिल्ली विश्वविद्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2026

फा.सं. CNC-II/093/1/112/2025/107.—दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम, 1922 (1922 का VIII) की धारा 29 की उप-धारा (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, कार्यकारी परिषद् कुलाध्यक्ष (विजिटर) के अनुमोदन के साथ, इसके द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय संविधियां, 1922 में संसोधन करने हेतु निम्नलिखित संसोधन करती हैं, नामतः-

1. लघु शीर्षक एव प्रारंभ

- (i) इन संविधियों को दिल्ली विश्वविद्यालय (संसोधन) संविधियां, 2025 कहा जा सकता है।
(ii) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन तिथि से लागू हो जाएंगे।

2. दिल्ली विश्वविद्यालय, 1922 के संविधियों में, संविधि 9-B में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

मौजूदा	संशोधित
संविधि 9-B विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विभाग स्थापित होंगे: (1) to (18) x x x x (19) आधुनिक भारतीय भाषा और साहित्यिक अध्ययन विभाग	संविधि 9-B विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विभाग स्थापित होंगे: (1) to (18) x x x x (19) भारतीय भाषा और साहित्यिक अध्ययन विभाग

विकास गुप्ता, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./06/2026-27]

UNIVERSITY OF DELHI**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2026

F.No. CNC-II/093/1/112/2025/107.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of Section 29 of the Delhi University Act 1922 (VIII of 1922), the Executive Council, with the approval of the Visitor, hereby makes the following amendments further to amend the Delhi University Statutes, 1922, namely:-

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Statutes may be called as the Delhi University (Amendment) Statutes, 2025
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Delhi University Statute, 1922, in Statute 9-B, following shall be substituted:

EXISTING STATUTE	AMENDMENT APPROVED
<p>Statute 9-B There shall be the following departments established in the University:</p> <p>(1) to (18) x x x x</p> <p>(19) Department of Modern Indian Languages and Literary Studies.</p>	<p>Statute 9-B There shall be the following departments established in the University:</p> <p>(1) to (18) x x x x</p> <p>(19) Department of Indian Languages and Literary Studies.</p>

VIKAS GUPTA, Registrar
[ADVT.-III/4/Exty./06/2026-27]